कानपुर नगर निगम

दिनांक 11.10.2021 दिन सोमवार को सम्पन्न हुई

मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

समय पूर्वान्ह 11.30 बजे

स्थानः नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष

मोतीझील, कानपुर।

कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/211 /सचिव (न0नि0)/2021–22 दिनांक :– 20/11/2021

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती............................

पार्षद वार्ड सं0.........../सदस्य कार्यकारणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 11.10.2021 दिन सोमवार को पूर्वान्ह 11.30 बजे सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

संलग्नक :–
कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 46 तक।

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक 11.10.2021 दिन सोमवार को पूर्वान्ह 11:30 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में मा0 कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

01	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
02	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	उपसभापति / सदस्य
03	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
04	श्री दीपक शर्मा	पार्षद / सदस्य
05	श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
06	श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य
07	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद / सदस्य
08	श्री अशोक पाल	पार्षद / सदस्य
09	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य
10	श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
11	श्री राजीव सेतिया	पार्षद / सदस्य

अधिकारी

1. श्री शिवशरणप्पा जीएन, नगर आयुक्त
2. श्री सूर्य कान्त त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त 'प्रशासन'
3. श्री अरविन्द कुमार राय, अपर नगर आयुक्त
4. श्रीमती रोली गुप्ता, अपर नगर आयुक्त
5. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. श्री अमित सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7. श्री एस0 के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (सिविल), नगर निगम
8. श्री नीरज गौड़, महाप्रबन्धक, जल कल विभाग, नगर निगम
9. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, सचिव, जल कल विभाग, नगर निगम
10. श्री स्वर्ण सिंह, उप नगर आयुक्त / प्रभारी अधिकारी कार्मिक

11. श्री राधे श्याम पटेल, सचिव नगर निगम

सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सभी सदस्यों से कहा कि सर्वप्रथम नवांगतुक अधिकारियों से आपसी परिचय प्राप्त कर लिया जाये, तदोपरान्त कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही संचालित की जाये। तद्नुक्रम में नगर आयुक्त एवं अपर नगर आयुक्त तथा समिति के सदस्यों ने अपने –अपने नाम पदनाम के साथ परिचय दिया।

सभापति ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि कार्यसूची में अंकित दिनांक 26.03.2021 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक के अवशेष प्रस्ताव संख्या –277 से 291 तक कुल 15 प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–277</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/263/ सम्पत्ति/20–21 दिनांक –11.02.2021 प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है:–

मा0 कार्यकारिणी समिति की अगामी बैठक मे प्रस्तुत किये जाने हेतु संलग्न प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।
उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनॉक 31–12 –2005 के प्रस्ताव संख्या 1367 मे मेजर सलमान, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे,को महाबलीपुरम में आधे मूल्य पर एक भूखण्ड व रू0 50,000–नगद एक सप्ताह के अन्दर दिलाना सुनिश्चित किये जाने की स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की गयी थी।

उक्त स्वीकृति प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या डी/369/उ0न0आ0 दिनॉक 04/5/2006 को भेजा गया था जिसके कम में अनुसचिव नगर विकास अनुभाग –7 उ0 प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या 642/नौ–7–10–11 के /10 दिनॉक 28/4/2010 , द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनॉक 31/12/2005 में सर्वसम्मत से स्वीकृत प्रस्ताव सख्या 1367 पर नगर निगम बोर्ड के अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के कम में प्रस्ताव मा0 सदन के बैठक में स्वीकृतार्थ हेतु पत्र सख्या डी/198/सम्पत्ति/19–20दिनॉक 20/12/2019 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर आपके आदेश के कम में विधिक राय लिया जाना समीचीन होगा के आदेश प्रदान किये गये थे। विधिक राय पर पुनः नवीन रूप से मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार कर दिया गया है।

अतः मा0 कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 31.12.2005 के प्रस्ताव संख्या 1367 में मेजर सलमान, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे, पुनः प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..................................सर्वसम्मति से जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार आधे दर पर महाबलीपुरम में भूखण्ड आवंटन करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–278

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/760/ अ0अ0–4/20–21 दिनांक –08.03.2021 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3)के अन्तर्गत, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः स्वीकृतार्थ प्रेषित हैः–

विषयः–जोन–4 वार्ड 10 बेनाझाबर के अन्तर्गत आर्य नगर कार्सिंग से आर्यनगर धर्मशाला तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।

जोन–4 वार्ड–10 बेनाझाबर के अन्तर्गत आर्यनगर क्रासिंग से आर्य नगर धर्मशाला तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य हेतु मा0 पार्षद श्री अवनीश खन्ना जी के प्रस्ताव पर उक्त कार्य का आगणन धनांक रु0 16,49,856.00 में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनांक रु0 1,97,983.00 का प्राविधान करते हुए कुल धनांक रु0 18,47,839.00 का बनाया गया है।

अतः कार्य हेतु आगणन धनांक रु0 18,47,839.00 एवं जी0एस0टी0 हेतु आरक्षित धनांक रु0 1,97,983.00 की स्वीकृति के साथ–साथ निविदा आमंत्रित हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

...............................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–279

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/250/ प–4/20–21 दिनांक –06.03.2021 प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः स्वीकार्थ प्रेषित हैः–

विषयः– नगर निगम द्वारा संचालिच चार वित्तविहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्टेसरी सेवा के सृजित पदों पर नियमित वेतनकम की शिक्षिकाओं को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित 04 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्टेसरी सेवा के सृजित पदों पर नियमित वेतनक्रम की शिक्षिकाओं को शासनादेश सं0– 3409/9– 1–17–194 सा/16, दिनांक 04.01.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या–92 में मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 08.10.2018 को दिये गये निर्देश के क्रम में इन विद्यालयों से प्राप्त आख्या के अनुसार अतिरिक्त मासिक व्ययभार रूपया 142615.00 , प्रतिवर्ष व्ययभार रूपया 1711380.00 तथा एरियर पर व्ययभार रूपया 4721770.00 मात्र का आकलन हुआ । पुनः मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04.09.2019 में प्रस्ताव संख्या–116 प्रस्तुत हुआ, जिस पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये । उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 04.01.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से निम्नवत् प्रदान किया जाना है :–

पदनाम	दिनांक 01.01.2016 से संशोधित
प्रधानाध्यापिका	9300–34800 ग्रेड पे 4800/– मैट्रिक्स लेबल 8 में
सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक एल0टी0ग्रेड	9300–34800 ग्रेड पे 4600/– मैट्रिक्स लेबल 7 में
सहायक अध्यापिका सी0टी0 नर्सरी	9300–34800 ग्रेड पे 4200/– मैट्रिक्स लेबल 6 में

विद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में कार्यरत शिक्षिकाओं को सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने पर प्रतिमाह अतिरिक्त व्ययभार रू0 1,06,735/– आयेगा । अतः दिनांक 01.01.2016 से उपरोक्तानुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

सभापति ने कहा कि लगभग सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं को पूर्व में ही प्रस्तावों के माध्यम सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार वेतन प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः इन शेष अध्यापक/अध्यापिकाओं को जिनकी संख्या काफी कम है, को भी पदवार सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार वेतन का लाभ दिया जाना चाहिये। यह भी दिखवा लिया जाये कि सृजित पदो के सापेक्ष कितने प्रधानाध्यापिका, सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक एल0टी0ग्रेड एवं सहायक अध्यापिका सी0टी0 नर्सरी लाभान्वित होंगी ? इसको मुझे भी अवगत कराया जाये।

............................तद्नुसार प्रश्नगत प्रस्ताव में उल्लिखित पदवार अध्यापक/अध्यापिकाओं को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–280

स्वामी आत्मश्रद्धानन्द,सचिव,राम कृष्ण मिशन आश्रम,राम कृष्ण नगर,कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषयः–रामकृष्ण मिशन आश्रम से जी0टी0 रोड तक के मार्ग का नाम''स्वामी विवेकानन्द मार्ग''करने के सन्दर्भ में।

राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर विश्वव्यापी रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है जिसे स्वामी विवेकानन्द जी ने 120 वर्ष पहले प्रारम्भ किया था। उनका उद्देश्य ''सेवा'' के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अवचेतना को जागृत करना था। राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर शाखा की शुरूआत सन् 1920 ई. में कराचीखाना में हुई,तत्पश्चात कुछ अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित होकर सन् 1936 ई.में वर्तमान पते पर स्थापित हुई। उक्त शाखा स्वामी विवेकानन्द जी के कार्य में संलग्न है। आज आश्रम द्वारा सफलतापूर्वक धर्मार्थ चिकित्सालय, हाईस्कूल, लाइब्रेरी, मलिन बस्ती विकास कार्य आपदा के समय सहायता,महिलाओं बच्चो का उन्नयन ,विभिन्न स्कूलो,कालेज में मूल्य परक शिक्षा की कक्षायें तथा चिकित्सा शिविर का संचालन किया जा रहा है। इन सब के अतिरिक्त मन्दिर में नित्यपूजा और वर्षभर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिसमें बहुत सारे लोग कार्यक्रमो में शामिल होते हैं।

राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर एक गैर लाभकारी ,सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है जो कि कानपुर के हजारों लोगो के जीवन एवं हृद्धय को स्पर्श कर रहा है। अतः यह आश्रम कानपुर का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जिस पर कानपुर को गर्व है। राम कृष्ण मिशन उ0 मा0 विद्यालय ,कानपुर (जिसमें लगभग 600 छात्र तथा कक्षा 6 से 10 तक है) हम आपसे निम्न निवेदन करना चाहते है :–

यह कि राम कृष्ण मिशन आश्रम से जी0टी0 रोड तक का मार्ग का नाम ''स्वामी विवेकानन्द मार्ग'' किया जाना समाजोपयोगी है। जिससे कि कानपुर शहर की आम जनता एवं युवा वर्ग स्वामी विवेकानन्द जी के सामाजिक एवं आध्यमिक संदेश से भलीभॉति परिचित हो सके।

अतः आपसे निवेदन है कि राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर से जी0टी0 रोड तक का मार्ग का नाम ''स्वामी विवेकानन्द मार्ग '' करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

............................तद्नुसार राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर से जी0टी0 रोड तक का मार्ग का नाम ''स्वामी विवेकानन्द मार्ग '' किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–281

डा0 वाई0के0 महेन्द्रा,निदेशक,खैराबाद आई हॉस्पिटल कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषयः– खैराबाद आई हॉस्पिटल के रास्ते का नाम "डा0 पी0एन0 महेंद्रा मार्ग" करने के सम्बन्ध में।

खैराबाद आई हॉस्पिटल,जैसा कि आप जानती ही है,कि वर्षो से (सन् 1975) से न केवल कानपुर नगर वरन प्रदेश के अनेकों जनपदों के गरीब नेत्र रोगियों का मुफ्त इलाज,उपचार व ऑपरेशन कर उनकी सेवा में रत है व इस क्षेत्र में प्रख्यात है।

इस गली में जो भी आवासीय लोग है,या डॉक्टर्स के चैम्बर,दुकानें आदि सब अपने पते में खैराबाद आई हॉस्पिटल का उपयोग करते है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस रास्ते का नाम खैराबाद आई हॉस्पिटल के संस्थापक स्व0 डॉ0 पी0एन0 महेन्द्रा की स्मृति में **" डॉ0 पी0एन0 महेन्द्रा मार्ग"** किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

....................**तद्नुसार खैराबाद आई हॉस्पिटल के मार्ग का नामकरण खैराबाद आई हास्पिटल के संस्थापकं " डॉ0 पी0एन0 महेन्द्रा मार्ग" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।**

प्रस्ताव संख्या–282

हाजी सुहैल अहमद(पूर्व कार्यकारिणी सदस्य) ,श्री अवनीश खन्ना(पूर्व कार्यकारिणी सदस्य) एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

श्रीमती कमला दरिया बादी वर्ष 1980 से लेकर 1989 तक सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र से विधायक रही है साथ ही नगर निगम कानपुर की 10 वर्ष पदेन सदस्य भी रही हैं इनका कानपुर के विकास में बहुत ही महत्व पूर्ण योगदान रहा है इनके पुत्र श्री संजीव दरियाबादी द्वारा मूलगंज टैम्पो स्टैण्ड पर

फाउण्टेन का निर्माण कराया था जो कि जार्ण शीर्ण अवस्था में है। मेरा प्रस्ताव है कि उपरोक्त फाउण्टेन का नाम कमला दरिया बादी चौक कर दिया जाये।

................................जॉचोपरान्त आख्या सहित अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–283

श्री धर्म प्रकाश गुप्ता संयोजक/सचिव ,(कानपुर पंचायत)प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषय:– ऐतिहासिक घटना स्थल जो पुराने टाउनहाल कोपरगंज के समीप तात्याटोपे की अंग्रजों से युद्ध की प्रतिमा स्थापित करने के सम्बन्ध में।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। कानपुर 28 जून 1857 को पूर्णतः तत्कालीन ब्रिटिश शासन से मुक्त हो चुका था और श्रद्धेय नाना साहब पेशवा का राज्य कायम हो गया था। दुर्भाग्यवश 17 जुलाई को पुनः कानपुर अग्रेजों के हाथ में आ गया। परन्तु नाना साहब और तात्या टोपे पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे और 28 नवम्बर को कानपुर पुनः कांतिकारियों के हाथ में आ गया। तात्या टोपे ने वर्तमान कोपरगंज के मैदान में कर्नल विंढम को हराकर उसे कानपुर से भगाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना का विवरण कानपुर गजेटियर में भी प्राप्त होता है।

यह एतिहासिक घटना स्थल जो पुराने टाउनहाल कोपरगंज के समीप है, वहॉ पर तात्या टोपे ने अंग्रेजों से लड़ाई की प्रतिमा स्थापित किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

....................................मा0 न्यायालय में पारित निर्णय के आलोक में तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या–284

श्री अर्पित यादव पार्षद वार्ड 45 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषय :— श्री आनन्देश्वर धाम परमट मंदिर के आवागमन की सड़क व परिसर का सुन्दरीकरण के संम्बन्ध में।

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव है कि श्री बाबा आनन्देशवर धाम परमट मन्दिर के परिसर व आवागमन की सड़क का भव्य सुन्दरीकरण करने के सन्दर्भ में। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया चूंकि प्रश्नगत प्रस्ताव .14 वें वित्त आयोग की बैठक दिनांक 12.02.2020 के अन्तर्गत शीर्षक **(9–B) विभिन्न शोभायात्रा/जुलूस मार्गो का सुधार कार्य के क्रमांक– 39 में वार्ड–42 में यूनियन बैंक तिराहे से बाबा आनन्देश्वर, परमट मन्दिर होते हुए टेफ्को चौराहा वी0आई0पी0 रोड तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य हेतु रू0 32.26 लाख, शीर्षक (9–B) सड़क निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य क्रमांक–40 में जोन–4 परमट मन्दिर के पहुंच मार्ग का सुन्दरीकरण का कार्य हेतु रू0 25.00 लाख, इस प्रकार कुल 57.26 (रू0 सत्तावन लाख छब्बीस हजार) की धनराशि को पूर्व में स्वीकृति किया जा चुका है तथा दिनांक 22.06.2021 को सम्पन्न हुई** मा0सदन की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा भी की जा चुकी है। अतः इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्नगत मन्दिर स्थल पर कार्य बहुत ही धीमी गति से कराये जा रहे है, जो सन्तोषजनक नहीं है। वही पर जो जल निकासी हेतु भूमिगत पाइप लाइन डाली जा रही है, वह बहुत ही कम गेज की है, जिससे भविष्य में वहॉ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चूंकि प्रश्नगत स्थल जनमानस की आस्थाओं का केन्द्र है, अतः मुख्य अभियन्ता (सिविल) आज ही स्थल का निरीक्षण कर कार्य आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत सभी कार्य मानक के अनुरूप कराये जाये तथा डाली जा रही पाइप लाईन की गेज बढ़ाये, साथ ही मुख्य अभियन्ता (सिविल) से पूछा कि आनन्देश्वर धाम, परमट में कार्य की क्या स्थिति है, अवगत कराया जाये।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) ने बताया कि परमट मन्दिर पर कार्य प्रारम्भ हो गया है, उसे शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

..............................मुख्य अभियन्ता (सिविल) कार्य का पर्यवेक्षण कर गति प्रदान करते हुए शीघ्र पूर्ण कराये।

प्रस्ताव संख्या–285

श्री प्रवीन सचान,(नगर पार्षद) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषयः–वार्ड 60 रावतपुर गॉव चौधरी स्वीट हाउस निकट नमक फैक्ट्री चौराहा से एक रोड छात्रावास तक जाती है जिसका नाम स्वतन्त्रता

सेनानी वीरसा मुण्डामार्ग किये जान` के सम्बन्ध में।

वार्ड– 60 रावतपुर गॉव में एक प्रतिष्ठित वनवासी छात्रावास है जिसमे आदीवासी वनवासी बच्चो को रहने व शिक्षण की व्यवस्था सर्व समाज के माध्यम से की जाती है। यह वनवासी छात्रावास स्वतन्त्रता सेनानी वीरसामुण्डा के नाम पर है जो अपने कानपुर नगर की शान है जिसका उदाहरण लोग देते है।चौधरी स्वीट हाउस निकट नमक फैक्ट्री से एकृ रोड छात्रावास तक जाती है जिसका नाम स्वतन्त्रता सेनानी वीरसामुण्डा मार्ग किये जाने एंव उक्त मार्ग पर एक द्वार का निर्माण किया जाए जिस पर स्वतन्त्रता सेनानी वीरसामुण्डा मार्ग अंकित किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... तद्नुसार रावतपुर गॉव नमक फैक्ट्री चौराहा चौधरी स्वीट हाउस निकट छात्रावास तक जाने वाले मार्ग का नामकरण ''स्वतन्त्रता सेनानी वीरसा मुण्डा मार्ग'' किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्याः–286

श्री प्रवीन सचान,(नगर पार्षद) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषय :– वार्ड 85 लाजपत नगर के अन्तर्गत थाना नजीराबाद के सामने कब्रिस्तान का मुख्य द्वार बनवाने के सम्बन्ध में।

वार्ड–85 लाजपत नगर के अर्न्तगत थाना नजीराबाद के सामने स्वामी अछूतानन्द समाधी स्थल है जहॉ कब्रिस्तान भी है। जिसका मुख्यद्वार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे शव यात्रा में आने वाले को दुर्घटना का अन्देशा बना रहता है।

इस समस्या को संज्ञान में लेकर उक्त मुख्यद्वार का जीर्णोधार मेरी पार्षद निधि द्वारा सम्पन्न कराने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... जॉच कराकर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या– 287

पुनः प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषयः—महर्षि दयान्द बिहार स्थित कोविद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आवास को जाने वाले निम्नाकित मार्ग चौराहा तथा पार्क का नामाकरण सदन मे पास कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महिर्ष दयानन्द बिहार स्थित श्री राम नाथ कोंविद महामहिम राष्ट्रीपति महोदय को जाने वाले मार्ग चौराह तथा पार्क के लिए राट्रहित मे तथा श्री रामनाथ कोंविद महा महिम राष्ट्रपति महोदय की गरिमा के अनुरूप निम्नाकित मार्ग चौराह तथापार्क का नामाकरण होना कानपूर के लिए गौरव की लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है

अतः महोदया से अनुरोध है कि दयानन्द बिहार स्थित महा महिम राष्ट्रपति महोदय के आवास को जाने वाले निम्नाकित मार्ग चौराहा तथा पार्क का नामाकरण कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.......................पूर्व में भी प्रश्नगत प्रस्ताव पर चर्चा की जा चुकी है, जिसमें तय हुआ है कि प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रपति भवन से उक्त प्रस्ताव पर अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये, उसके उपरान्त ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रस्ताव संख्या—288

श्री गिरीश चंन्द्र (पार्षद) एवं अन्य पार्षद गण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत हैः—

विषयः—शिक्षा के प्रति नगर निगम की खोई ख्यति वापस लाने के सम्बध में।

निवेदन के साथ अवगत कराना हे कि शिक्षा समाज की नीव है अगर शिक्षा का समाज मे अभाव है तो कानपुर का विकास अधूरा है आप सहित जनमानय को अवगत होगा जीतने सरकारी स्कूल थे आज वो दम तोड़ने की स्थित में है और जो प्राइवेट स्कूल थे वो आज जमीन से आसमान को चूम रहे हैं। जबकि सरकारी स्कूल के शिक्षक प्राइवेट की अपेक्षा बहुत पढ़े लिखे हैं आप इससे भी अवगत हैं कि विगत कई वर्षों पहले सरकारी स्कूलो का स्तर बहुत अच्छा था।

अतः आप से प्रर्थना है कि ज्यादा नहीं तो जो नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल है या खाली पड़ी जमीनो पर पी0पी0 माडल पर तैयार कर शिक्षण शुल्क कम लेकर शिक्षा प्रति नगर निगम की खोई ख्याति वापस लाने और उसका नगर के जन मानस को अच्छी शिक्षा मिल सके। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..................................तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या–289

श्री महेश त्रिवेदी मा0 विधायक / पूर्व मंत्री, किदवई नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषय :–जोन– 3 के अन्तर्गत वार्ड– 70मे गुजन बिहार सघर्ष नगर कर्रही स्थित लक्ष्मण पार्क मे श्रद्वेय मा0 श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की प्रतिमा लगवाये जाने के सम्बध मे।

आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसिन्नचित्त होगी संलग्न प्रार्थन पत्र आप के पास इस आशा से प्रषित है कि अपनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 70 मे गुंजन बिहार कर्रही मे लक्ष्मण पार्क स्थित है क्षेत्रीय जन उक्त पार्क मे अपने आदर्श महापुरूष श्रद्वेय मा0 श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की प्रतिमा लगवाना चाहते हैं।

अतः सहानुभूति पूर्व विचार कर क्षेत्रीय जनो की भावनाओ की दृष्टिगत रखते हुए उक्त पार्कमे श्रद्वेय मा0 श्री अटल बिहरी बाजपेई जी की प्रतिमा लगवाने का कष्ट करे उक्त प्रतिमा की देख–रेख वा साफ–सफाई का ध्यानजनो द्वारा रखा जायेगा। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रसताव विचारार्थ / स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

...........................मा0 न्यायालय में पारित निर्णय के आलोक में तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या–290

श्री महेंद्र प्रताप सिंह (राजन) पूर्व पार्षद वार्ड–78 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः–समाजसेवी स्व0 वासुदेव वासवानी जी की सड़क उनके नाम से समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में।

आपको सादर अवगत कराना है कि कानपुर के लोकप्रिय समाजसेवी स्व0 वासुदेव वासवानी जी जो ब्रम्हलीन हो गये जो कि 40 वर्षों से निरन्तर पी रोड गॉधी नगर मे अपनी चक्की चलाकर वही बैठकर समाज को दिशा देने का कार्य करते थे मेरा निवेदन है कि उक्त सड़क का नाम उनके नाम पर करने की कृपा करे जो कि उनके लिये सच्ची श्रद्वांजली होगी। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

........................तद्नुसार संदर्भित स्थल का नामकरण "स्व0 वासुदेव वासवानी जी मार्ग" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–291

श्री अर्पित यादव ,(पार्षद) द्वाराप्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः–वार्ड– 45 के अन्तर्गत जॉचोपरांत क्षेत्र की खाली पड़ी लगभग 200 बीट में कर्मचारी बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

मेरे वार्ड क्षेत्र 45 के अन्तर्गत 01 ब्लाक में 30 गलियॉ है और क्षेत्र में लगभग 08 ब्लाक हैं व प्रत्येक ब्लाक में 3 से 4 कर्मचारी कार्यरत हैं और लगभग 08 चौराहे हैं और 28 पार्क हैं व 25 मुख्य सड़कें हैं। क्षेत्र में कुल 36 कर्मचाारी हैं , जिससे क्षेत्र में गन्दगी आयदिन बनी रहती है।

अतः श्रीमान जी से सादर अवगत कराना है कि क्षेत्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव दे रहा हूँ। कृपया स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें और कम से कम 15 कर्मचारी बढ़ाने का कष्ट करें। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

सभापति ने कहा कि पूर्व के सदन की बैठक में प्रत्येक पार्षद के वार्ड में 05–05 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अवगत कराया कि पिछले सदन में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सूची तैयार कर मा0 महापौर जी व नगर आयुक्त जी को दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा GeM Portal के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसका टेण्डर भी आमंत्रित कर दिया गया है। शीघ्र ही कर्मचारी तैनात किये जायेंगे।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि सदन में नामित पार्षदों को भी 05–05 सफाई कर्मचारी दिये जाने हेतु निर्णय हुआ था। उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

पुनः सभापति ने कहा कि पिछले सदन की बैठक में सदन में सभी पार्षदों को 10–10 लाईटें दिये जाने का निर्णय लिया गया था, दीपावली आने वाली है, किन्तु अभी तक न तो लाईटे मिली, न हैण्ड पम्प रिबोर कराये गये और न ही हाथ कूड़ा गाड़ियॉ उपलब्ध कराई गयी। अतः ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कार्यकारिणी/सदन के निर्णयों की अवमानना करते है, उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि लाईटों के सम्बन्ध में अगवत कराना चाहता हूँ कि वर्क आर्डर हो चुका है तत्सापेक्ष मै आश्वस्त करता हूँ कि दीपावली के पूर्व लाईटे लग जायेंगी। मैन पावर के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से मुख्य सचिव के आदेश पर GeM Portal के माध्यम से ही कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। इसका भी टेण्डर आमंत्रित किया जा चुका है। 135 हाथ कूड़ा गाड़ियॉ वार्डो में उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि वर्कशाप में काफी संख्या में हाथ कूड़ा गाड़ियॉ छोटी–मोटी कमियों के कारण खराब पड़ी है। उन्हें कम खर्च पर ही मरम्मत कराकर ठीक कराया जा सकता है।

नगर आयुक्त ने कहा कि वर्कशाप में खराब पड़ी हाथ कूड़ा गाड़ियॉ को कम खर्च पर ठीक कराये जाने का सुझाव अच्छा है। इस सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह, तत्कालीन अपर नगर आयुक्त ने कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी थी, परन्तु उनका स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, इसे मैं स्वयं दिखवाउँगा।

सभापति ने कहा कि महानगर में कई स्थानों पर एटूजेड की गाड़ियॉ ग्रीन बेल्ट में खड़ी है, जिनकी देख–रेख हेतु कर्मचारी भी तैनात है, यह अवगत कराया जाये कि कानपुर महानगर में नगर निगम सीमान्तर्गत कितने स्थानों पर एटूजेड की कूड़ा गाड़ियॉ खड़ी है ?

नगर आयुक्त ने श्री आर0के0सिंह, प्रभारी प्रोजेक्ट सेल को स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया।

श्री आर0के0सिंह ने अवगत कराया कि एटूजेड कम्पनी वर्ष 2014 में अचानक कार्य छोड़कर चली गयी थी। चूँकि प्रश्नगत कम्पनी का अनुबन्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया था। अतः अनुबन्ध निरस्त किये जाने हेतु शासन को पत्र भी भेजा गया है, परन्तु अभी तक अनुबन्ध निरस्त नहीं हुआ है साथ ही यह भी अगवत कराना है कि एटूजेड कम्पनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है, जिस पर कार्यवाही करायी जा रही है। यदि शासन से कम्पनी के साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाता है, तो गाड़ियॉ नीलाम की जा सकती है। शहर में 06 स्थानों पर एटूजेड की लगभग 100 गाड़ियॉ खड़ी है। विशेष रूप से यह भी अवगत कराना है कि पनकी भवसिंह स्थित कूड़ा निस्तारण प्लान्ट में कुछ जगह भी रिक्त हुई है, जहॉ पर एटूजेड की गाड़ियॉ खड़ी की जा सकती है।

सभापति ने कहा कि इस पर किसी अधिकारी को नामित कर 02 माह में एटूजेड कम्पनी से शासन द्वारा किये गये अनुबन्ध को निरस्त कराया जाये तथा मा0 न्यायालय में चल रहे वाद पर प्रभावी पैरवी कराई जाये, जिससे सफाई विषयक कार्यवाही को गति दी जा सके। कानपुर महानगर में नगर निगम द्वारा कराये जा रहे विकास कार्य काफी विलम्ब से पूर्ण कराये जाते है, यह अवगत कराया जाये कि एक ठेकेदार के कार्य करने की अवधि कितनी होती है ?

मुख्य अभियन्ता (सिविल) ने सानुरोध अवगत कराया कि कार्य के स्वरूप के अनुसार कार्य की अवधि की जाती है, वैसे अधिकतम 06 माह की कार्य अवधि होती है।

श्री कैलाश पाण्डेय, उपसभापति ने कहा कि कानपुर महानगर में ज्यादातर हैण्ड पम्प ठूंठ बने खड़े है। सदन में निर्णय लिये जाने के उपरान्त भी आज तक न तो नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये और न ही रिबोर किये गये, कृपया महाप्रबन्धक, जलकल अवगत कराने का कष्ट करें कि महानगर कें कितने हैण्डपम्प खराब है ? बोरिंग का मानक क्या है ? क्या इसकी कोई सूची उनके पास उपलब्ध है ?

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि रिबोर हैण्डपम्पों की सूची तैयार किये जाने हेतु सदन में महाप्रबन्धक को निर्देशित किया गया था, किन्तु आज तक कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।

महाप्रबन्धक, जलकल ने कहा कि रिबोर के सम्बन्ध में सूची तैयार कर ली गयी है, नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोर करायें जाने हेतु 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त की चुकी है, तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही कराई जायेगी।

सभापति ने कहा कि नगर निगम निधि यथाशीघ्र 10–10 हाथ कूड़ा गाड़ियॉ क्रय करते हुये वार्डो को उपलब्ध कराई जाये।

..................................तद्नुसार नगर आयुक्त को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया कि दिनांक 26.03.2021 को कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक के अवशेष प्रस्ताव संख्या 294 तक थे, पर विचार किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत प्रस्तावों पर अग्रेतर संख्या निम्नवत होगी। तत्क्रम में अब वित्तीय वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित बजट के तख्मीनों पर विचार कर लिया जाये :–

नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 147 में प्राविधानित नियमों के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 के नगर निगम पुनरीक्षित बजट को प्रस्तुत करते हुए समिति के सदस्यों को अवगत कराने के निर्देश दिये।

आदेशानुपालन में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित बजट को प्रस्तुत करते हुए सदयों को निम्नवत् अवगत कराया :–

कृपया नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 147 बजट के पुनरीक्षित तखमीने "माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा 10 सितम्बर को अथवा उसके पश्चात यथाशीघ्र विचार करेगी और 01 अक्तूबर तक निगम को प्रस्तुत करेगी" के क्रम में नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2021–22 का पुनरीक्षित बजट 31 अगस्त के वास्तविक आय एवं व्यय के आकंडो के दृष्टिगत कुल प्रस्तावित आय रूपया 95974.40 लाख व प्रारम्भिक अवशेष 48331.82 लाख कुल आय

144306.22 लाख के बजट के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 101932.65 लाख व अन्तिम अवशेष रूपया 42373.57 कुल व्यय रूपया 144306.22 लाख के बजट के अनुमान तैयार किये गये है,जो प्रस्तुत है :–

पुनरीक्षित बजट 2021–22 के पुनरीक्षित किये गये मद शीर्षक निम्नवत है :–

आयपक्ष

धनराशि लाख में

क्रमांक	मदशीर्षक	मद का नाम	मूल बजट की धनराशि	पुनरीक्षित बजट की धनराशि
1	1401403	विकास शुल्क मलवा शुल्क	100.00	300.00
2	1404009	अन्य शुल्क नामातंरण शुल्क	600.00	800.00
3	1405025	उपयोगकर्ता शुल्क पार्किंग	90.00	175.00
4	1503001	अन्य बिक्री महाबलीपुरम	0.25	35.00
5	3111312	वित्त आयोग- बैंक ब्याज	120.00	500.00
6	3111480	विकास प्राधिकरण हस्तातंरण	500.00	2500.00
7	3112303	नमामि गंगे	150.00	20.00
8	3112308	पी0एम0स्वनिधि योजना	0.00	30.00
9	3112309	गंगा घाटो की सफाई	0.00	150.00

व्यय पक्ष

धनराशि लाख मे

क्रमांक	मदशीर्षक	मद का नाम	मूल बजट की धनराशि	पुनरीक्षित बजट की धनराशि
1	2101001	वेतन एवं भत्ते अधिकारीगण	50.00	60.00
2	2101002	वेतन एवं भत्ते कर्मचारीगण	23000.00	25500.00
3	2101003	वेतन एवं भत्ते संविदा कर्मचारीगण	350.00	400.00
4	2101006	वेतन एवं भत्ते संविदा कर्मचारीगण सफाई	4000.00	4440.00
5	2103001	पेंशन	10500.00	11600.00

6	2202102	छपाई सामग्री	10.00	25.00
7	2205204	सलाहकार शुल्क	10.00	15.00
8	2206003	कार्यक्रम आयोजन	25.00	35.00
9	2305006	सडक मरम्मत (उद्योग बन्धु)	800.00	1500.00
10	2305007	विकास कार्य 1 प्रतिशत मलिन बस्ती	1.00	390.00
11	2305104	कला एवं संस्कृति का रख रखाव	5.00	8.00
12	2305111	सार्वजनिक शौचालय का रख रखाव	60.00	100.00
13	2308001	कूडा निस्तारण डोर टू डोर	35.00	100.00
14	2308003	लेदर क्रोमियम निस्तारण	50.00	600.00
15	2308004	एस0टी0पी0 रख रखाव	50.00	400.00
16.	2308005	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट	5.00	25.00
17	4102007	सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	40.00	80.00
18	4107001	फर्नीचर अलमारी मेज कुर्सी आदि	40.00	75.00
19	4107002	फर्नीचर फिक्चर फिटिंग	10.00	20.00
20	3111480	विकास प्राधिकरण हस्तांतरण	500.00	2500.00
21	3112400	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम	450.00	300.00
22	3112401	पी0 एम0 स्वनिधि योजना	0.00	30.00
23	3112402	गंगा घाटो की सफाई	0.00	150.00

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के मदवार पुनरीक्षित तख्मीनों को समाहित करते हुये नगर निगम पुनरीक्षित बजट मान्नीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव संख्या–295

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2020–21	प्रस्तावित धनराशि 2021–22	वास्तविक आय अगस्त 2021 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2021–22
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	17149.28	22881.50	6180.31	22881.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	177.59	166.00	32.67	166.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	1639.34	2331.55	979.33	2816.55
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	56.01	92.80	37.30	127.55
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	0.20	0.00	0.20
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	519.02	602.60	1.73	602.60
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	536.70	563.30	199.53	563.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	37463.72	39630.20	15366.49	39630.20
	TOTAL -(A)		योग (अ)	6	57541.66	66268.15	22797.35	66787.90
	Capital Income		पूँजीगत आय					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	;ksx X(k½	वित्त आयेाग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	6	22329.08	22620.00	7593.43	23000.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	210.32	1500.00	1920.32	3500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	945.23	2036.00	298.18	2086.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	7	0.00	0.40	0.00	0.40
	TOTAL -B-		योग (ब)	7	23484.63	26156.40	9811.93	28586.40
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	7	81026.29	92424.55	32609.28	95374.30
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवालविंग फण्ड)	7	0.00	0.10	0.00	0.10
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना प्राप्तियाँ	7	443.32	600.00	0.30	600.00
	TOTAL -C-		योग (स)	7	443.32	600.10	0.30	600.10
	Total Revenue, Capital & JNNURM/Amrut Income A +B+ C		कुल राजस्व,पूँजीगत एवं जेएनएनयूआरएम / अमृत आय (अ+ब+स)	7	81469.61	93024.65	32609.58	95974.40
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः–	7	41206.05	20338.28	48010.98	48331.82
	Grand Total		महायोग	7	122675.66	113362.93	80620.56	144306.22

(वित्त नियंत्रक, नगर निगम)

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2020–21	प्रस्तावित धनराशि 2021–22	वास्तविक व्यय अगस्त 2021 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2021–22
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	8	40609.75	45461.10	15305.37	49561.10
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	2028.30	3148.95	1013.98	3178.95
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	11335.35	13193.60	6046.74	15310.60
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	612.02	754.50	0.01	754.50
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	524.53	667.50	284.89	752.50
	TOTAL -D-		योग (द)	12	55109.95	63225.65	22651.00	69557.65
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	13	12402.05	25100.00	122.34	25100.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	13	329.97	1500.00	190.78	3500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	13	1468.97	2621.00	446.13	2651.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	14	0.00	4.00	0.00	4.00
	Total -E-		योग (य)	14	14200.99	29225.00	759.24	31255.00
	Total -(D+E)		योग (द+य)	14	69310.94	92450.65	23410.24	100812.65
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)					
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	0.00	100.00	0.00	100.00
4604	JNNURM Scheme Advance & Expenses, etc.	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना अग्रिम / व्यय आदि	14	-53.83	1020.00	70.26	1020.00
	TOTAL -F-		योग (र)	14	-53.83	1120.00	70.26	1120.00
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	14	69257.10	93570.65	23480.50	101932.65
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	;ksx ¼x½	घटायें :– देयतायें / उचन्त खाते	14	-5407.58	0.00	-975.84	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	14	74664.68	93570.65	24456.34	101932.65
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	14	48010.98	19792.28	56164.22	42373.57
	Grand Total		महायोग	14	122675.66	113362.93	80620.56	144306.22

.... नगर निगम वित्तीय वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित बजट में वास्तविक आय के पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रूपया 95974.40 लाख तथा प्रारम्भिक अवशेष 48331.82 लाख इस प्रकार कुल आय धनराशि रूपया 144306.22 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित व्यय रूपया 101932.65 लाख तथा अन्तिम अवशेष रूपया 42373.57 इस प्रकार कुल व्यय रूपया 144306.22 लाख की धनराशि को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया ।

....

प्रस्ताव संख्या–296

श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा,अध्यक्ष,अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन (रजि.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :–गंगा बैराज चौराहा एवं कर्बला रोड के नामकरण के सन्दर्भ में।

डॉ0 रामेश्वर प्रसाद शर्मा,प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी की 123 वीं,जयंती के अवसर पर डॉ0 रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल स्कूल ,पुराना कानपुर,कानपुर नगर में आयोजित कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति में आम जनमानस की मांग पर आपने कृपा पूर्वक गंगा बैराज चौराहा का नाम और कर्बला रोड का नाम स्वतंत्रता सेनानी डॉ0 रामेश्वर प्रसाद शर्मा मार्ग रखने का अनुरोध स्वीकार किया था तथा नगर निगम सदन की आगामी बैठक में रखने का आश्वासन दिया था।

..............................तद्नुसार गंगा बैराज चौराहा और कर्बला रोड का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी "डॉ0 रामेश्वर प्रसाद शर्मा मार्ग" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –297

श्री नितिन कुमार गुप्ता, संयोजक –डीपफ्रीजर सेवा, श्री ओमर –ऊमर वैश्य युवा शक्ति संगठन सामाजिक संस्था कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

हमारी संस्था श्री ओमर –ऊमर वैश्य युवा शक्ति संगठन विगत कई वर्षो से कानपुर महानगर में विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य सम्पन्न करती रही है। जिसमें जाड़ो में अलाव लगाना सड़क पर सो रहे लोगों को वस्त्र एंव कम्बल प्रदान करना तथा पर्यावरण सुरक्षा हेतु घर–घर जाकर वृक्षारोपण करवाना जिन घने इलाकों में कच्ची ज़मीन नही मिलती वहां पर गमलों में पौधों का वितरण आदि कार्य करती रहती है। हमारी संस्था दीपावली में घर–घर से गणेश–लक्ष्मी की मूर्तियां एकत्रित कर उनका भू–विसर्जन करती है। ताकि नदियॉ और जल प्रदूषित न हो।

हमारी संस्था जनता की सेवा के लिए शव सुरक्षित रखने हेतु दो डीपफ्रीजर की वयवस्था कर रही है। परन्तु उसके लिए हमें डीपफ्रीजर रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता होती है जहां से हम डीपफ्रीजर का आदान–प्रदान कर सके। इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि भगवत दास घाट में स्थित विधुत शव दाह ग्रह के भू–तल पर एक कमरा उपलब्ध है जो इस कार्य के लिए अत्यन्त उपयोगी है तथा जनता को वहां से डीपफ्रीजर पहुॅचाना अत्यन्त सुलभ होगा।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमें इस कार्य के लिए वह जगह आंवटित करने की कृपा करें। हम आप के नियमानुसार यदि कोई शुल्क भी देना पड़ता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। हम उस स्थान का प्रयोग केवल डीपफ्रीजर जो शवों की सुरक्षा हेतु होगें उन्ही को वहां रखकर जनसेवा करेगें और उस स्थान का कोई अन्यथा प्रयोग हमारे द्वारा नहीं किया जायेंगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस जन सेवा कार्य में हमको यह स्थान आंवटित करने की कृपा करेंगी।

.... **सिर्फ डीप–फिजर रखने की अनुमति के साथ तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>प्रस्ताव संख्या –298</u>

श्री अरविन्द यादव ,मा0 पार्षद वार्ड 69 सरोजनी नगर, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

अवगत कराना है कि हमारे वार्ड 69 के अर्न्तगत मतैयापुरवा पार्क में लगभग 30 वर्ष पूर्व निर्मित शौचालय पूर्ण रूप से जीर्णक्षीर्ण हो चुका है और वहां पर निवास करने वाली जनता ने अपने घरों में स्वयं के क्रियाघर बना लिये है। शौचालय पूर्ण रूप से जर्जर एंव ध्वस्त हो गया है, अब इस क्षेत्र के पार्क में शौचालय की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको गिराकर क्षेत्र की गरीब जनता की बेटियों के विवाह हेतु बरातशाला का निर्माण करा दिया जाये तो गरीब जनता की बेटियों का विवाह सम्पन्न हो सकेगा व इसके साथ ही नगर निगम को भी राजस्व का लाभ होगा।

..............................चूंकि मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पार्क में किसी भी प्रकार का निर्माण एवं अन्य कतिपय गतिविधियॉ प्रतिबन्धित है, अत : प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या –299

श्री डा. देव लुम्बा,निदेशक, मधुराज हास्पिटल, प्राइवेट लिमिटेड कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषय :–मधुराज हास्पिटल चौराहे पर स्थित निर्माणधीन मेट्रो स्टेशन का नाम मधुराज हास्पिटल मेट्रो स्टेशन के नाम से नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना।

आपको सादर अवगत कराना है कि मधुराज हास्पिटल की स्थापना जन–मानस की सेवा एवं जन–मानस की कठनाईयों को देखते हुए डॉ.राज कुमार लुम्बा एवं डॉ. मधु लुम्बा द्वारा वर्ष 1983 में किया गया था। मधुराज हास्पिटल वर्ष 1983 से जन–मानस को उत्कृष्ट रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है।

कोविड–19 की महामारी में मधुराज हास्पिटल ने मात्र 48 घण्टे के अन्दर अस्पताल को डेडिकेटेड (समर्पित) कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर शासन एवं प्रशासन के निर्देश के क्रम में उच्चस्तरीय कोविड–19 बीमारी से ग्रसित मरीजों की जान बचाई एवं सैकड़ो मरीज पूर्ण रूप से स्वास्थ्य होकर घर गये।

उपरोक्त के कारण शासन एवं प्रशासन तथा आम जन–मानस ने इस कार्य की भूरी –भूरी प्रशंसा की। भारत सरकार एवं राज्य सरकार आदेश के क्रम में मधुराज हास्पिटल को कोविड–19 वैक्सीनेशन सेन्टर बनाकर हजारों लोगो का वैक्सीनेशन कार्य शासन एवं प्रशासन की मंशा के अनुरूप कराया गया।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप **'बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ'** के संदर्भ में अस्पताल द्वारा निरन्तर उत्कृष्ट कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मधुराज हास्पिटल के जन–मानस के हित एवं उच्चस्तरीय स्वास्थ्य कार्यो को देखते हुए अस्पताल को **'उत्तर प्रदेश रत्न'** सम्मान से सम्मानित कर चुका है।

कानपुर नगर के शासन एवं प्रशासन द्वारा मधुराज हास्पिटल को उत्कृष्ट कार्यो के लिए लगातार सम्मानित किया जाता रहा है और वर्तमान में लगातार सम्मानित किया जा रहा है।

अस्पताल के उत्कृष्ट कार्यो को देखते हुए नगर निगम एवं कानपुर नगर के सक्षम विभागों ने **मधुराज हास्पिटल चौराहा, स्वरूप नगर से चाट चौराहा, आर्य नगर तक की सड़क का नामकरण मधुराज हास्पिटल मार्ग रखकर उसका शिलान्यास किया।**

मधुराज हास्पिटल द्वारा आम जन–मानस के लिए किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यो को देखते हुए आप से सादर अनुरोध एवं निवेदन है कि मधुराज हास्पिटल चौराहा पर मेट्रो स्टेशन का नामकरण **मधुराज हास्पिटल मेट्रो स्टेशन** करने की कृपा करें, या उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को उचित दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

मधुराज हास्पिटल मेट्रो स्टेशन नामकरण के पश्चात साफ–सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में आने वाले खर्चे का दायित्व लेने को तैयार है।

........................**मधुराज हॉस्पिटल शहर के प्रतिष्ठित अस्पतालों मे से एक है इसी परिप्रेक्ष्य में आख्या तैयार कर नगर आयुक्त उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को नामकरण हेतु पत्र प्रेषित किये जाने की कार्यवाही करायें।**

<u>प्रस्ताव संख्या–300</u>

श्री श्याम अवस्थी,अध्यक्ष/वरिष्ठ पत्रकार,एच0बी0मीडिया फाउडेशन कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

<u>विषय</u> :– <u>शिलालेख लगाने की अनुमति देने के संदर्भ में।</u>

आपको अवगत कराना है कि 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारा संगठन पूर्व राष्ट्रपति डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम जी की याद में शिलालेख,बांसमण्डी चौराहे पर लगाया जा रहा है। जिस पर सारा खर्च हमारा संगठन उठाएगा व देख–रेख करेगा। आप उक्त स्थान पर शिलालेख लगाने की अनुमति प्रदान करें।

.... **मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पर्यवेक्षण में तद्नुसार शिलालेख लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

प्रस्ताव संख्या–301

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या– 288 /3/प दिनांक 12.08.2021 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित।

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :–

1. रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत।
2. रू0 1,200.00 से अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत ।
3. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु मा0 सदन की बैठक दिंनाक 22.06.2021 के प्रस्ताव संख्या– 107 द्वारा ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक 31.03.2021 तक पूर्ण धनराशि जमा होने पर/ अवशेष होने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 की चालू मॉग पर अप्रैल 2021 से जून 2021 तक 10 प्रतिशत छूट तथा इसके पश्चात् विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त को एक माह अर्थात् जुलाई 2021 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। विशेष परिस्थितयों एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुये माह अगस्त 2021 से अधिकतम अक्टूबर 2021 तक एक–एक माह के लिये 10 प्रतिशत छूट बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु नगर आयुक्त महोदय को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।
4. भारत सरकार द्वारा भुगतान प्रकिया में डिजिटाईजेशन की प्रमुखता दी गई है, इसमे त्वरित भुगतान के साथ–साथ समय की बचत होती है। अतः भवन स्वामियों द्वारा अपने गृहकर का भुगतान(ई–पेमेन्ट) डिजिटल करने पर 00.50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव भी मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

....**तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>प्रस्ताव संख्या –302</u>

श्री गिरीश चन्द्रा,मा0 पार्षद वार्ड–7 (निराला नगर),सदस्य कार्यकारिणी समिति, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

अवगत कराना है कि पशुपालकों के यहॉ से निकलने वाले गोवर की वजह से कुछ कठिनाइयॉ तो आती है पर अगर पशु पालक नहीं होगें तो शहर वाशी भी **केमिकल युक्त** दूध एवं दूध से बनी मिठाईयॉ पिनी/खानी पड़ेगी **मा0 मुख्य मंत्री जी** का आवाहन है कि पशु पालक बढ़े ताकि दूध की मात्रा ज्यादा हो सके। आप सहमत होगी कि बहुत साल पहले जब अतिथि द्वारा पर आते थे तो लोग स्वागत में दूध,दही,मठठा पूछते थे मगर आज के समय मे सपना लगता है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप द्वारा दूध बढ़वा के लिये कोई ठोस पहल करें, यह वात जरूरू है कि पशुपालक ज्यादा होगें तो गोबर की मात्रा भी अधिक इसके लिये मारी सेवा संस्थान के पदाधिकारी गणों ने वताया कि अगर नगर निगम संस्था को पशुपालकों के यहॉ से गोबर उठाने एवं नगर निगम की जमीन पर एकत्र कर गोबर उत्पाद बनाने की अनुमत दे दे तो **जरा सा भी गोवर नाली में नहीं जाने दिया जायेगा।** गोबर से जैविक खाद बना कर **मा0 मुख्य मंत्री जी**, जैविक उत्पाद के वढ़ावा को सफल वनाने का प्रयास किया जायेगा। नगर निगम के पार्को के लिये जैविक खाद उपलब्ध होगा, पशुपालक से जो यूजर चार्ज संस्था लेगी उसका 50 % नगर निगम को देगी।

सभापति ने कहा कि महानगर में कोई भी व्यक्ति एक गाय रख सकता है, किन्तु उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराना आवश्यक होगा।

.........................**जॉचोपरान्त अगली कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करें।**

<u>प्रस्ताव संख्या –303</u>

श्री कमल शुक्ल 'बेबी',मा0 वरिष्ठतम पार्षद वार्ड–61 ,कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषय :–<u>स्वरूप नगर कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय एवं कानपुर विद्या मन्दिर महिला इण्टर कालेज स्वरूप नगर के सामने वाले सड़क/मार्ग का नामकरण डा0ईश्वर चन्द्र गुप्त के नाम कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>

डा0 ईश्वर चन्द्र गुप्त नगर के जाने माने शिक्षाविद रहे हैं। 38 वर्षो तक डी0ए0वी0 कालेज में कॉमर्स शिक्षण के साथ कानपुर विश्वविद्यालय के डीन फैक्लटी भी रहे हैं। वे प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों तथा यू0पी0बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिये कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, कानपुर विद्या मन्दिर महिला इण्टर कालेज व कानपुर विद्या मन्दिर शिशु निकेतन के संस्थापक रहे है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समाज की अपूरणीय सेवा की है। उनके द्वारा संस्थापित विद्यालय नगर में अपना उच्च स्थान रखते है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि स्वरूप नगर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय ,कानपुर विद्या मन्दिर महिला इण्टर कालेज के सामने वाले सड़क/मार्ग का नाम उनके नाम पर करने की कृपा की जाये।

.... तद्नुसार स्वरूप नगर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय ,कानपुर विद्या मन्दिर महिला इण्टर कालेज के सामने वाले सड़क/मार्ग का नामकरण " डा0ईश्वर चन्द्र गुप्त"_मार्ग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या –304</u>

श्री गिरीश चन्द्रा,मा0 पार्षद वार्ड–7 (निराला नगर),सदस्य कार्यकारिणी समिति, एवं तीन अन्य पार्षद कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

कानपुर दक्षिण की जनता की तरफ से अवगत कराना है कि कानपुर दक्षिण की शान 13 ब्लाक सब्जी मंडी है मण्डी में कई साल से किशान सब्जीयॉ लेकर आते है और दक्षिण की जनता को इसका सीधा लाभ मिलता है साथ ही फल विक्रेता भी है, जो चकरपुर मण्डी के समकक्ष भाव से हम दक्षिण की जनता को फल उपलब्ध कराते है। परन्तु मात्र 04 लोगों की वजह से मण्डी को नजर लग गयी और मण्डी हटाने की स्थिति आ गयी। क्षेत्रीय जनता एवं मेरा सुझाव है कि 13 ब्लाक के पास निराला नगर पार्षद कार्यालय के सामने अम्बेडकर नगर के खाली जमीन,इसी स्थान पर मण्डी को स्थापित कर दिया जाय, इससे एक लाभ यह मिलेगा कि नन्दलाल से सचान गेस्ट हाउस तक सड़क के किनारे जो दुकानदार है इनकी वजह से कभी–2 जाम लग जाता है इससे भी निजात मिल जायेगी।

....................................तद्नुसार उ0प्र0.शासन को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या –305

श्री दीपक सिंह,मण्डल अध्यक्ष,करणी सेना भारत,कानपुर मण्डल एवं श्री पंकज सिंह राजावत ,जिलाध्यक्ष ,कानपुर नगर ग्रामीण,श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने पृथक–पृथक पत्र देते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषय :– **जरीब चौकी चौराहे का नाम बदलकर महाराणा प्रताप करने के संबंध में तदानुसार प्रस्ताव जरीब चौकी चौराहे का नामकरण महाराणा प्रताप चौराहा एवं प्रतिमा स्थित स्थान का भव्य सौन्दर्यीकरण कराने के संबंध मे प्रार्थना पत्र।**

आपसे सविनय निवेदन है कि प्रार्थी करणीसेना भारत टीम का कानपुर का मण्डल का मण्डल अध्यक्ष है और यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी कानपुर नगर व मण्डल की कार्यकारिणी की तरफ से दे रहा है। महोदय कानपुर नगर के जरीब चौकी चौराहे पर 06 अक्टूबर सन् 2000 से महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है। उक्त प्रतिमा तत्कालीन विधायक श्रीमान राकेश सोनकर के प्रयासो से स्थापित करायी गयी थी ।

अतः हमारे आदर्श महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को ध्यान में रखते हुये उक्त चौराहे का नाम महाराणा प्रताप चौक करवाने का की कृपा करें। जिससे कानपुर नगर का मान और गौरव भी बढ़ जाये और यह नगर वासियो के लिये हर्ष का विषय होगा।

..........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –306

श्री यशपाल सिंह ,मा0 पार्षद वार्ड–78 सिविल लाईन, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

विषय :–**बड़ा चौराहा से कचहरी मार्ग का नाम परम श्रदेय परम आदरणीय पं0 सूर्य नारायण त्रिपाठी जी के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।**

सविनय निवेदन है कि श्रदेय स्व0 श्री सूर्य नारायण त्रिपाठी जी जो जी0एन0के0 कालेज के प्रधानाध्यापक रहे है तथा शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में उनका ज्ञान अतुलनीय रहा है।

अतः सविनय निवेदन है कि बड़ा चौराहा से कचहरी जाने वाले मार्ग का नामकरण महापुरूष के नाम पर करने का कष्ट करें।

..........................तद्नुसार बड़ा चौराहा से कचहरी जाने वाले मार्ग का नामकरण परम श्रदेय ''पं0 सूर्य नारायण त्रिपाठी'' मार्ग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –307

नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित है,मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0 द्वारा टावर पोलो पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट न लगाने के कारण खाली टावर पोलो पर नगर निगम द्वारा फ्लड लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज)/2017 दिनांक 23.08.2017 के कम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलो पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा खाली पोलो पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये शहर के खाली पोलो पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये जोन–1 से 6 तक के 32 स्थलो पर लगे टावर पोलो में 148 नग 200 वाट एल0ई0डी0 फलड लाइट फिटिंग लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

कम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन–1 से 6 तक के 32 स्थलो पर लगे टावरो के लिये 148 नग 200 वॉट एल0ई0डी0 फ्लड लाईट फिटिंग एवं तार इत्यादि का कार्य।	रू0. 19,82,489.60

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनो से कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

..........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –308

नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित है,मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0 द्वारा नई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट न लगाने के कारण खाली पोलो पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज)/2017 दिनांक 23.08.2017 के कम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलो पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा खाली पोलो पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये शहर के खाली पोलो पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये जोन–1 से 6 तक के नामित पार्षदो एवं जनप्रतिनिधियों हेतु 20 वार्डो में 10–10 नग कुल 200 नग एल0ई0डी0 लाइट्स लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

कम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन–1 से 6 तक के नामित पार्षदो एवं जनप्रतिनिधियों हेतु 20 वार्डो में 100 नग 75–90 वॉट एवं 100 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0. 18,09,292.80

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनो से कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

.........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –309

नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित है,मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0 द्वारा नई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट न लगाने के कारण खाली पोलो पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज)/2017 दिनांक 23.08.2017 के कम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलो पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा खाली पोलो पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये शहर के खाली पोलो पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये जोन–1 के 18 वार्डो में 10–10 नग कुल 180 नग एल0ई0डी0 लाइट्स लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

कम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन–01 के 18 वार्डो में 90 नग 75–90 वॉट एवं 90 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0. 16,27,136.00

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनो से कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –310

नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित है,मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0 द्वारा नई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट न लगाने के कारण खाली पोलो पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज)/2017 दिनांक 23.08.2017 के कम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का

कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलो पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा खाली पोलो पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये शहर के खाली पोलो पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये जोन–2 के 21 वार्डो में 10–10 नग कुल 210 नग एल0ई0डी0 लाइट्स लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

क्रम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन–02 के 21 वार्डो में 105 नग 75–90 वॉट एवं 105 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0. 18,98,836.80

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनो से कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

.........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या –311</u>

नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित है,मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0 द्वारा नई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट न लगाने के कारण खाली पोलो पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज)/2017 दिनांक 23.08.2017 के क्रम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलो पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा खाली पोलो पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये शहर के खाली पोलो पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये जोन–3 के 18 वार्डो में 10–10 नग कुल 180 नग एल0ई0डी0 लाइट्स लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

कम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन–03 के 18 वार्डो में 90 नग 75–90 वॉट एवं 90 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0. 16,27,136.00

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनो से कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

.........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –312

नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित है,मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0 द्वारा नई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट न लगाने के कारण खाली पोलो पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज)/2017 दिनांक 23.08.2017 के कम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलो पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा खाली पोलो पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये शहर के खाली पोलो पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये जोन–5 के 18 वार्डो में 10–10 नग कुल 180 नग एल0ई0डी0 लाइट्स लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

क्रम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन–05 के 18 वार्डो में 90 नग 75–90 वॉट एवं 90 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0. 16,27,136.00

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनो से कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –313

नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित है,मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0 द्वारा नई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट न लगाने के कारण खाली पोलो पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज)/2017 दिनांक 23.08.2017 के क्रम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलो पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा खाली पोलो पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये शहर के खाली पोलो पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये जोन–6 के 20 वार्डो में 10–10 नग कुल 200 नग एल0ई0डी0 लाइट्स लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

क्रम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन–06 के 20 वार्डो में 100 नग 75–90 वॉट एवं 100 नग 110 वॉट	रू0. 18,09,292.00

	एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनो से कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

.........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –314

श्री सत्यदेव पचौरी ,मॉ सांसद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव।

अटल सेवा समिति के अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद मिश्र एफ–27 गणेश शंकर विद्यार्थी नगर पनकी जोन–5 ,वार्ड–53 कानपुर का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सेवा समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने गणेश शंकर विद्यार्थी नगर एफ ब्लाक योजना विकसित करते समय क्षेत्रीय लोगो के लिये पार्क विकसित करने हेतु लगभग तीन एकड़ की भूमि छोड़ी गयी थी ,जिसके देख–रेख न होने के कारण कुछ लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। **सेवा समिति द्वारा उक्त पार्क को विकसित कराकर पार्क का नामकरण स्व0 पूर्व प्रधानमंत्री " अटल विहारी बाजपेई " जी के नाम किये जाने का अनुरोध किया है।**

अतः उपेक्षा है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त पार्क को विकसित कराकर **श्रद्वेय अटल विहारी बाजपेई जी के नाम से नामकरण कराये** जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

......................तद्नुसार गणेश शंकर विद्यार्थी नगर एफ ब्लाक योजना, पनकी स्थित पार्क का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री "स्व0 अटल बिहारी वाजपेई पार्क" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –315

श्री अर्पित यादव ,मा0 पार्षद वार्ड–45, विश्व बैंक, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

सादर अवगत कराना है कि मा0 कार्यकारिणी के समक्ष एक प्रस्ताव दे रहा हूँ जो कि विश्व बैंक बर्रा सेक्टर ए के अर्न्तगत इलाहाबाद बैंक से हंस टैण्ट हाउस रोड का नाम समाजसेवी स्व0 राम किशोर मणि त्रिपाठी के नाम से कराने हेतु है।

अतः प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष दे रहा हूँ ,स्वीकृत करने का कष्ट करें।

..........................जॉच कराकर आख्या सहित अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>प्रस्ताव संख्या –316</u>

श्री राजीव सेतिया ,मा0 पार्षद वार्ड–74, श्याम नगर, कानपुर एवं श्री राघवेन्द्र मिश्रा,कार्यकारणी सदस्य,वार्ड–91 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

अवगत कराना है कि हमारे वार्ड–74 श्याम नगर मे डी ब्लाक में तिकोनिया पार्क है जिसका कार्यकारिणी के समक्ष स्व0 मदन लाल सेतिया स्मृति पार्क नाम से नामकरण कर दिया जाये क्योकि वह इस सदन के पूर्व सदस्य भी थे और समाजसेवी भी थे।

अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी के समक्ष करने की कृपा करें।

......................तद्नुसार श्याम नगर मे डी ब्लाक स्थित तिकोनिया पार्क का नामकरण " स्व0 मदन लाल सेतिया" के नाम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

<u>प्रस्ताव संख्या –317</u>

श्री विनोद कुमार, कार्यालय प्रमुख, विश्व हिन्दू परिषद,कानपुर प्रान्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठाकिंत है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः–<u>वार्ड–72 जोन–5 दबौली हरमिलाप स्कूल के सामने स्थित पार्क का नामकरण "जगत नारायण पार्क" कराये जाने सम्बन्धित</u>

<u>प्रस्ताव।</u>

निवेदन है कि जोन–5 वार्ड–72 दबौली हरमिलाप स्कूल के सामने स्थित पार्क को 35 वर्ष पुराने कब्जे से मुक्त कराया गया है। जो समाज की एकता एवं अखंण्डता को समर्पित है। स्व0 जगत नारायण जी एक बड़े अध्यापक थे जिन्होने समाज को एक करने के लिये नि0शुल्क शिक्षा देकर गरीब व असहाय बच्चो को शिक्षित तथा सशक्त किया। हम सभी क्षेत्रवासी की इच्छा है कि पार्क का नाम "जगत नारायण पार्क" रख दिया जाए।

अतएव जोन–5 वार्ड–72 दबौली हरमिलाप स्कूल के सामने स्थित पार्क का नाम "जगत नारायण पार्क" का नामकरण किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

................................तद्नुसार दबौली हरमिलाप स्कूल के सामने स्थित पार्क का नामकरण "जगत नारायण पार्क" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

सभापति को निम्नवत प्रस्ताव हस्तगत (टेबुल) किये गये

टेबुल प्रस्ताव संख्या –318

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित किदवई नगर स्थित नगर निगम मिक्की हाउस का किराया बढ़ाये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कृपया अवगत कराना है कि किदवई नगर स्थित नगर निगम मिक्की हाउस के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु विचारणीय है :–

1. नगर निगम द्वारा दिनांक 28.01.1991 जो कि लीज डीड दिनांक 18.05.1990 के तहत निस्पादित करते हुए नगर निगम (प्रथम पक्ष) एवं साउथ एशिया इण्टरप्राइजेज लि0 (मिक्की हाउस) (द्वितीय पक्ष) के मध्य अनुबन्ध किया गया था। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 30.06.2021 (30 वर्ष) निर्धारित थी।
2. नगर निगम के प्रस्ताव दिनांक 13.07.1999 के द्वारा उपसमिति गठित की गयी। उपसमिति की रिपोर्ट के अनुसार अमेण्डेड लीज डीड दिनांक 08.12.2000 का निस्पादन किया गया इसमें लीज अवधि 01.07.1991 से 30 वर्ष निर्धारित की गयी। (दिनांक 30.06.2021 लीज समाप्ति निर्धारित किया गया)।
3. लीज की शर्तो के अनुसार मिक्की हाउस को मनोरंजन पार्क के रूप मे विकसित करते हुए झूले आदि लगाकर इस पार्क को रमणीय पर्यटन स्थल व मनोरंजन केन्द्र बनाना था। लीजडीड दिनांक 18.12.2000 की निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण है जो संशोधित लीज डीड की देयता के सम्बन्ध मे है।

(□)– 01.07.1991 से 30.06.1998 तक सात वर्ष के 15,000 प्रति माह की दर से

(□)– 01.07.1998 से 30.06.2006 तक 08 वर्ष के लिए 20,000 प्रति माह की दर से
(□)– 01.07.2006 से 30.12.2013 तक $7^{1/2}$ वर्ष के लिए 25,000 प्रति माह की दर से
(□)– 01.01.2014 से 30.06.2021 तक $7^{1/2}$ वर्ष के लिए 30,000 प्रति माह की दर से

4. सम्बन्धित संस्था (मिक्की हाउस) द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक उपयोग जैसे शादी, विवाह, जन्मदिन एवं अन्य आयोजन किये गये।

उक्त कारणो से स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जनता द्वारा आपत्ति की गयी तथा नगर निगम को प्रत्यावेदन भी दिये गये। नगर निगम द्वारा समाचार पत्रो में सूचना प्रकाशित की गयी कि मिक्की हाउस में किसी प्रकार के शादी, विवाह व इस प्रकार से सम्बन्धित आयोजन किया जाना वर्जित है। यदि इस प्रकार के आयोजन किये जाते है तो लीज की शर्तो एवं नियमो का उल्लंघन है और नगर निगम द्वारा लीज निरस्त करने तथा आयोजनकर्ता के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

5. प्रथम पक्ष (नगर निगम) को अधिकार है कि द्वितीय पक्ष (मिक्की हाउस) को लीज डीड की शर्तो के उल्लंघन करने के आधार पर 30 दिन का समय देकर द्वितीय पक्ष को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए की गयी गलती को सुधारने का नोटिस दिया जायेगा। यदि उसके उपरान्त भी द्वितीय पक्ष द्वारा लीज डीड की शर्तो की अवहेलना करता है तो प्रथम पक्ष अनुबन्ध को समाप्त कर देगा।

6. अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार लीज डीड दिनांक 30.06.2021 तक निर्धारित थी। इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा निरन्तर अनुबन्ध का उल्लंघन किया जा रहा था।

7. संस्था ने दिनांक 08.03.2021 को नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित करते हुए पत्र दिया था तथा उसमें सामाजिक कार्यो के साथ–साथ व्यावसायिक कार्यक्रमो का उपयोग का अनुरोध किया गया था। संस्था के पत्र मे कंही भी लीज डीड बढ़ाने का अनुरोध नही किया गया था।

8. उपरोक्त पत्र पर नगर निगम द्वारा निर्णय लिये जाने के पूर्व ही संस्था ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 1426 ऑफ 2021 मेसर्स साउथ एशिया इण्टरप्राइजेज लि0 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य मे रिट दायर किया गया।

9. मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त मुकदमे में आदेशित किया गया कि नगर आयुक्त, कानपुर प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2021 को 6 सप्ताह के भीतर निस्तारित करें।

तद्क्रम मे तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.07.2021 द्वारा निस्तारण आदेश पारित किया।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट सी नं0–14226 सन् 2021 मेसर्स साउथ इण्टरप्राइजेज लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय में अपने आदेश दिनांक 01.07.2021 में निम्न निर्देश पारित किये हैं –

"In view of the above , without expressing any opinion on merits of the claim of the petitioner ,we deem it appropriate to dispose off this petition by providing that the 3rd respondent (Commisioner,Municipal Corporation, Kanpur Nagar) shall take an appropriate decision on the application of the petitioners dated 08.03.2021 (Annexure No.2 to this Petition),preferably, within a period of six weeks from the date of filing of a copy of this order alongwith a copy of the writ petition.

याची द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2021 इस आशय का दिया है कि मिक्की हाउस प्रांगण में शादी, विवाह समारोह प्रस्ताव आदि समारोह हेतु अनुमति प्रदान किया जाये। याची द्वारा लीज को आगे बढ़ाने के लिये प्रार्थना पत्र नही दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध विभागीय आख्याओं एवं अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि याची द्वारा लीज की शर्तों का कभी भी सम्मान पूर्वक पालन नही किया गया है। स्वयं याची ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि ॰ इसमें शादी व समथ सामाजिक कार्यक्रम विगत में होतें थे जो कुछ वर्षों से किन्ही कारणों (जैसे गड्ढे होना व पार्किंग की सुविधा न होना) से शादी समारोह नही किये जा रहे थे। उपरोक्त के अतिरिक्त जिन उद्देश्यो के लिये लीज किया गया था उन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति याची द्वारा नही किया गया। उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से आम जनता द्वारा भी याची संस्था के विरूद्ध मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0, मा0 महापौर कानपुर नगर, नगर आयुक्त महोदय कानपुर नगर निगम एवं मा0 नगर विकास मंत्री शासन को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना पत्र दिये हैं जिसमें मुख्य रूप से लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुये प्रश्नगत परिसर में वैवाहिक समारोह, गेस्टहाउस तथा मिक्की हाउस में अराजक तत्वों का अड्डा बन जाना जिसके कारण आस–पास रहने वालों के लिये परेशानी होना, की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र के साथ शिकायतों के समर्थन में फोटोग्राफ की प्रतियां संलग्न की हैं। श्री रजनीश तिवारी प्रदेश महामंत्री ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2020 में यह शिकायत की है कि आवंटी ने अवैध रूप से स्वरूप बदल कर किसी बैंक का ए0टी0एम0 लगवा रखा है। विभाग की जांच में भी शिकायतें सही पायी गयी हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याची ने लीज की शर्तों का न केवल उल्लंघन किया है बल्कि लीज की सम्पत्ति का दुरूपयोग भी किया है जो कुछ हद तक कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाली है।

इस प्रकार चूंकि याची ने लीज की अवधि को बढ़ाने का कोई भी प्रार्थना नही किया है तथा पूर्व में लीज की शर्तों का उललंघन किया है और लीज की सम्पत्ति का अन्यथा दुरूपयोग किया है। आम जनता की शिकायतें भी प्राप्त हुयी हैं जो जांच में सत्य पायी गई हैं। अतः याची के पक्ष में लीज के नवीनीकरण का कोई विधिक औचित्य प्रकट नही होता है तद्नुसार प्रार्थी का पत्र दिनांक 15.05.2020 व 08.03.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

10. उपरोक्त निस्तारण आदेश पर जोन–3 की आख्या के अनुसार दिनांक 14.07.2021 को मिक्की हाउस पर नगर निगम ने कब्जा प्राप्त करा। अपने अधिपत्य मे लेते हुए सील कर दिया तथा गार्डो की तैनाती कर दी गयी। वर्तमान मे यह सम्पत्ति नगर निगम के आधिपत्य/कब्जे में है।

11.संस्था द्वारा पुनः दिनांक 19.08.2021 को नगर आयुक्त महोदय को पत्र सम्बोधित किया जिसमें लीज के नवीनीकरण की मांग की गई है। पत्र पर अंकित नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन में मिक्की हाउस का सर्किल रेट के आधार पर मूल्यांकन किया गया जो निम्न है।

R.NO.	DESCRIPTION OF AREA	DESCRIPTION OF MEASUREMENT			QUANTITY	uit	rate	amount
		NO'S	LENGTH	BREATH				
1	MIKKI HOUSE AREA **TOTAL**	1 X 1	(138+131.6)/2	(90.5+126.35)/2	14615.02	Sqm	as per circle rate	
		TOTAL			14615.02	sqm		
		say qty=			14615/	**sqm**	75000/-	1096125000/-

सम्पत्ति की सर्किल रेट के मूल्यांकन के आधर पर शासनादेश/जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के किराया निर्धारण वर्ष 2013 के अनुसार रू. 275.00 प्रति वर्ग मीटर बनता है परन्तु शासनादेश/जिलाधिकारी महोदय के किराया निर्धारण के आदेश में 05 वर्ष के उपरान्त 12.5 प्रतिशत किराया बढ़ोत्तरी का नियम है। इस आधार पर मिक्की हाउस सम्पत्ति का किराया रू. 309.38/– प्रति वर्ग मी0 होगा।

सूच्य है कि नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने दिनांक 16.01.2013 को सम्पन्न बैठक में प्रस्ताव सं0 47 के अनुसार वर्तमान समय मासिक किराया का 50 प्रतिशत किराया निर्धारित किया है।

अतः मासिक किराया निर्धारण के अनुसार वर्ष 2018 में (05 वर्ष के लिये)– 14615×309.48 = 4521589.00 होगा अर्थात् सदन के प्रस्ताव के अनुसार किराया 50 प्रतिशत होगा जो रू. 2260794 बनता है।

उल्लेखनीय है कि मिक्की हाउस के किराये पर उठाये जाने/लीज पर दिये जाने आदि के सम्बन्ध में निर्णय मा0 कार्यकारिणी/सदन द्वारा लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार आदेशार्थ मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृत्यर्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सभापति ने सभी सदस्यों से कहा कि वर्तमान मंहगाई के दृष्टिगत जिलाधिकारी सर्किल रेट (वर्तमान दरों पर) उपरोक्तानुसार मासिक किराया तय किया जाना समीचीन होगा।

..............................**तद्नुसार नगर निगम मिक्की हाउस, किदवई नगर का मासिक किराया रू0 22 लाख 50 हजार सर्वसम्मति से निर्धारित करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–319

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कृपया मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.10.2018 एवं मा0 सदन की बैठक दिनांक 05.12.2018 के प्रस्ताव–41 में लाइसेंस शुल्क में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त प्रस्तावों में **अस्पतालों एवं प्राईवेट क्लीनिकों के बढ़े हुये दरों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉ0 नीलम मिश्रा द्वारा** अन्य शहरों की तुलना में कानपुर नगर निगम की दरें अत्यधिक होने पर आपत्ति प्रकट की गयी है, दरों में संशोधन हेतु मा0 महापौर जी द्वारा निर्देशित भी किया गया है, उक्त के कम में **अस्पतालों एवं प्राईवेट क्लीनिकों के बढ़े हुये दरों का संशोधित प्रस्ताव निम्नवत है :–**

शासनादेश सं0–161/सी0एम0/नौ–9–97–23ज/97 नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक–16.12.97 तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद शनिवार 18 मार्च, 1999 की (फागुन) 22, 1920 शकसम्वत के अनुसार नगर निगम, कानपुर सीमान्तर्गत संचालित नर्सिंगहोम, प्रसूति गृह, प्राइवेट अस्पताल, पैथलौजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक जो वर्तमान समय में संचालित प्रतिष्ठानों से लाईसेन्स शुल्क वसूली की निर्धारित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में शासन की निर्धारित दरें नगर निगम द्वारा निर्धारित दरें तथा प्रस्तावित दरों का विवरण निम्नवत है:–

नगर निगम द्वारा वर्तमान में विभिन्न मदों में लाइसेन्स	नगर निगम द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में लागू)	नगर निगम द्वारा संशोधित/प्रस्तावित मदवार दर	प्रस्तावित दर
प्राइवेट अस्पताल		प्राइवेट अस्पताल	
नर्सिंग होम–प्रसूति गृह (50 बेड तक)	7500.00	नर्सिंग होम–प्रसूति गृह (1 से 20 बेड तक)	5000.00
नर्सिंग होम 50 से 100 बेड तक	15000.00	नर्सिंग होम 21 से 50 बेड तक	7500.00
प्रसूति गृह 100 बेड से 250 बेड तक	20000.00	नर्सिंग होम 50 बेड से ऊपर तक	15000.00
प्रसूति गृह 200 बेड से 250 बेड तक	35000.00	प्रसूति गृह 01 से 50 बेड तक	10000.00
		प्रसूति गृह 51 बेड से 200 बेड तक	20000.00
		प्रसूति गृह 201 बेड से 250 बेड तक	35000.00
प्राइवेट अस्पताल	10000.00	प्राइवेट अस्पताल	10000.00
पैथोलौजी लैब	5000.00	पैथोलौजी लैब	5000.00
डैग्नोस्टिक सेन्टर, पैथलौजी, एक्सरे, क्लीनिक एलो0/डेन्टल क्लीनिक	10000.00	डैग्नोस्टिक सेन्टर, पैथलौजी, एक्सरे, क्लीनिक एलो0/डेन्टल क्लीनिक	10000.00

ब्लडबैक सेन्टर	10000.00	ब्लड बैक सेन्टर	10000.00
प्राइवेट क्लीनिक	5000.00	प्राइवेट क्लीनिक (जिसमें डाक्टर सिर्फ परामर्श देते हो)	1000.00
		प्राइवेट क्लीनिक (एक से अधिक कक्ष जिसमें डॉक्टर की क्लीनिक के साथ बेड एवं ड्रिप की व्यवस्था हो) डे–केयर सेन्टर	4000.00
आर्युवेदिक / यूनानी / होम्यो क्लीनिक आदि	4000.00	आर्युवेदिक / यूनानी / होम्यो क्लीनिक आदि	1000.00
		पैट क्लीनिक सर्जरी के साथ (सभी पालतू जानवरों हेतु)	3000.00
		पैट क्लीनिक स्पा एवं अन्य सुविधाओं के साथ (सभी पालतू जानवरों हेतु)	5000.00

उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में एलोपैथिक / आर्युवेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक डाक्टरो द्वारा अपने जीवन की चिन्ता न करते हुए 24 घंटें नागरिकों के जीवन रक्षा मे लगे रहे, कोरोना काल में कई चिकित्सक तो अपने घर तक नहीं गये, यहॉ तक कि नागरिकों की जीवन रक्षा में कई चिकित्सक काल कवलित भी हो गये। अतएव एलोपैथिक / आर्युवेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक डाक्टरो के विशेष योगदान हेतु इनके प्राईवेट क्लीनिक की लाइसेंस फीस 1000 (रूपया एक हजार) किये जाने की दरों का संशोधित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ / स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

...............................तद्नुसार दिनांक 01.04.2021 से प्रस्तावित दरों को लागू करने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–320</u>

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना :–

नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले समस्त 110 वार्डो में स्थित सम्पत्तियों को जी0आई0एस0 बेस मैप सर्वे ऑफ प्रापर्टीज से आच्छादित किये जाने हेतु शासन के निर्देशानुसार यूनीक आई0डी0 नम्बर आवंटित करते हुए कराच्छादन की परिधि में लाया जाना है, जिस हेतु शासन द्वारा समस्त 16 नगर निगमों में सर्वेक्षण एजेन्सियॉ नामित की गयी है। कानपुर नगर निगम हेतु नमित एजेन्सी आई0टी0आई0 लिमिटेड व उनकी सहयोगी एजेन्सियों द्वारा 20 वार्डो का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207 व 213 में नगर निगम सीमान्तर्गत किसी भी सम्पत्ति का कर निर्धारण, पुनरीक्षण या संशोधन किये जाने पर सम्बन्धित अध्यासी / स्वामी को नोटिस के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष (2021–22) दिनांक 01.04.2021 से उक्त आशय का नोटिस प्रेषित किये जाने की सूचना माननीय कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपसभापति श्री कैलाश पाण्डेय ने कहा कि नामित कम्पनी के सम्बन्ध में वित्तीय अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही है, इसमें कई भवन स्वामियों द्वारा यह मुझे अवगत कराया गया है कि कम्पनी के नामित कर्मचारी अपना हित लाभ साधते हुये अपने ढंग से कर निर्धारण करते है, जिससे भवन स्वामियों का सही कर निर्धारण नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप कानपुर नगर के भवनों का वास्तविक कर निर्धारण नहीं हो पायेगा।

नगर आयुक्त ने कहा आई0टी0आई0 द्वारा कराये गये जोन वार सर्वे रिपोर्ट पर जोनल अधिकारियो एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के माध्यम से सत्यापित करने (क्रास–वेरिफिकेशन) के पश्चात् ही कर निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

.... आई0टी0आई0 द्वारा कराये गये जोन वार सर्वे रिपोर्ट पर जोनल अधिकारियो एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के माध्यम से सत्यापित करने (क्रास–वेरिफिकेशन) के पश्चात् ही कर निर्धारण की कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–321

श्री अशोक कुमार पाल द्वारा प्रस्तुत एवं 05 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषयः बाबाकुटी का नाम रानीमाता अल्यिा बाई होल्कर मार्ग किये जाने के सम्बन्ध में।

आपको यह अवगत कराना चाहते है कि हमारे वार्ड सं0–36 में एक सड़क मार्ग है, जो बाबा कुटी सड़क मार्ग के नाम से जानी जाती है, जिसे अस्थायी नाम से पुकारा जाता है। हम एक प्रस्ताव आपको देना चाहते है जिसमें इस मार्ग को बाबाकुटी मार्ग के नाम से नही बल्कि (अहिल्या बाई होल्कर) के नाम से जाना जाये। इस मार्ग का एक स्थायी नामकरण कर स्थायी नाम मिल सके। अतः इस प्रस्ताव को संज्ञान में लेकर इसे पारित करने की कृपा करें।

.........................तद्नुसार उल्लिखित मार्ग का नामकरण " अहिल्या बाई होल्कर" मार्ग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–322

श्री अशोक कुमार पाल द्वारा प्रस्तुत एवं 03 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषयः बाकरगंज हिन्दू कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार कराये जाने के सन्दर्भ में।

आपको यह अवगत कराना चाहते है कि हमारे वार्ड सं0–36 में बाकरगंज में हिन्दू कब्रिस्तान स्थित है, जो कि जर्जर अवस्था में है, जिसमें गन्दगी, मार्ग की एवं प्रकाश व व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था सुनियोजित तरीके से नही है। इस समस्या के सन्दर्भ में एक पत्र पूर्व में दिया जा चुका है किन्तु अभी तक एक भी बार उस पत्र में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। अतः आपसे निवेदन है कि इस पत्र को संज्ञान में लेकर समस्या का निवारण करने की कृपा करे।

..............................तद्नुसार बाकरगंज हिन्दू कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार कराये जाने स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–323

श्री राशिद महमूद द्वारा प्रस्तुत एवं 05 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषयः जोन–4 वार्ड–59 के अन्तर्गत पड़ने वाले नगर निगम कब्रिस्तान के मुख्य द्वार को अपने पिता "स्व0 हाजी महमूद अहमद अंसारी" की स्मृति में भव्य गेट बनाकर सुन्दरीकरण (अपने खर्च पर) कराये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जोन–4 वार्ड–59 के अन्तर्गत पड़ने वाले नगर निगम कब्रिस्तान का मुख्य द्वार जर्जर व जीर्ण–शीर्ण है, जिसको मैं अपने स्व0 पिता श्री हाजी महमूद अहमद अंसारी की स्मृति में भव्य रूप से बनाकर सुन्दरीकरण कराना चाहता हूँ। जिस पर आने वाला समस्त खर्च मैं स्वयं वहन करूँगा तथा निर्माण के उपरान्त उक्त गेट का सम्पूर्ण स्वामित्व नगर निगम कानपुर का ही रहेगा। यहाँ पर यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि उक्त गेट के निर्माण से हमारी सम्पत्ति की सुरक्षा भी होगी तथा वह अतिक्रमण से भी मुक्त रहेगी।

अतः मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त नगर निगम कब्रिस्तान के मुख्य द्वार को भव्य गेट बनाये जाने **(स्मृति स्व0 हाजी महमूद अहमद अंसारी)** हेतु स्वीकृति/सहमति प्रदान किये जाने का आदेश पारित करें।

..............................**तद्नुसार मुख्य द्वार का नामकरण "स्व0 हाजी महमूद अहमद अंसारी" पर किये जाने एवं गेट बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में पारित निर्णय के आलोक में, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–324

श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत एवं 05 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषयः जोन–1 वार्ड–109 के अन्तर्गत पड़ने वाले अस्पताल (नाला रोड, सीसामऊ स्थित) का नामकरण मेरी माता स्व0 शमीम फातिमा के नाम किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जोन–1 वार्ड–109 के अन्तर्गत नालारोड सीसामऊ स्थित अस्पताल, जो कि नगर निगम का है। अभी तक उक्त अस्पताल का कोई भी नाम नही है। पूर्व में मेरे द्वारा पत्र दिया गया था, किन्तु उक्त पत्र का सन्दर्भ/प्रस्ताव कार्यसूची में नही आया है, जिसके कारण मेरे द्वारा पुनः टेबुल प्रस्ताव देकर ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ।

अतः आपसे मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सादर अनुरोध है कि उक्त नाला रोड, सीसामऊ स्थित अस्पताल का नामकरण मेरी स्व0 माता "श्रीमती शमीम फातिमा" के नाम पर किये जाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

................तद्नुसार नाला रोड, सीसामऊ स्थित अस्पताल का नामकरण "नगर निगम शमीम फातिमा अस्पताल" के नाम पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–325

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा द्वारा प्रस्तुत एवं 07 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषयः महामना पं0 मदन मोहन मालवीय पार्क के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।

आपको सादर अवगत कराना है कि वार्ड–76 हरबंश मोहाल क्षेत्र में महामना पं0 मदन मोहन मालवीय पार्क है, उपरोक्त पार्क में महामना पं0 मदन मोहन मालवीय जी की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। उक्त पार्क वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है। आपसे अनुरोध है कि हम उपरोक्त पार्क के जीर्णोद्धार के लिये कार्यकारिणी में प्रस्ताव दे रहे है, कार्यकारिणी के प्रस्ताव मंजूर कर उपरोक्त पार्क का जीर्णोद्धार करवाने की कृपा करे।

..........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–326

श्री सौरभ तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्तावः 60 फिट रोड को शहीद दीपक पाण्डेय मार्ग के नाम से जाना जाये।

निवेदन है कि मेरे वार्ड–62 स्वर्ण जयंती विहार में देश की रक्षा करते हुये दीपक पाण्डेय शहीद हो गये थे, अतः उनके नाम से 60 फिट रोड को जाना जाये, यह हमारे लिये गौरव की बात होगी।

अतः समस्त क्षेत्र वासियों की भी इच्छा है कि अमर शहीद दीपक पाण्डेय के नाम से सड़क जानी जाये।

.........................तद्नुसार स्वर्ण जयन्ती विहार 60 फिट रोड का नामकरण "अमर शहीद दीपक पाण्डेय" मार्ग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–327

श्री सौरभ तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्तावः स्वर्ण जयंती विहार कृष्णा पैलेस चौराहे को चन्द्रशेखर आजाद चौराहा के नाम से विख्यात कराने के लिये।

निवेदन है कि मेरे वार्ड–62 स्वर्ण जयंती विहार में कृष्णा पैलेस चौराहा को चन्द्रशेखर आजाद के नाम से नामकरण कराने की कृपा करे।

.... **ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत स्थल का पूर्व से नामकरण है, अतः इसका परीक्षण कराने के पश्चात् ही नामकरण की कार्यवाही करायी जाये।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–328

श्री विनोद कुमार, प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री अखिलेश सिंह प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश नगर निगम, विकास प्राधिकरण एवं जलकल विभाग संयुक्त वाहन चालक/कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– लखनऊ नगर निगम की भाँति कानपुर नगर निगम/जलकल कर्मचारियों को भी भवन कर, जल कर एवं सीवर कर से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया लखनऊ नगर निगम कार्यालय ज्ञाप संख्या–237/21 दिनांक–18.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें मा0 कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक दिनांक– 25.02.2019 में उत्तर प्रदेश अधिनियम (1959) की धारा 115(15) के प्राविधानानुसार पारित आदेश के क्रम में कर्मचारियों को विभागीय भवन कर, जल कर एवं सीवर कर से मुक्त कर दिये जाने का आदेश निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में संगठन आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि उक्त प्रस्ताव में माननीय महापौर, माननीय पार्षदगण एवं नगर निगम/जलकल कर्मचारियों को भी भवन कर, जलकल कर एवं सीवर कर एवं नामान्तरण शुल्क से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास कराने की कृपा करे।

..............................**अन्य नगर निगमों में छूट के सम्बन्ध में दिखवा लिया जाये, तदोपरान्त आख्या सहित अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–329

श्री अनूप कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– **अनूप कुमार शुक्ला पार्षद पूर्व उपसभापति नगर निगम कानपुर के प्रस्ताव किदवई विधानसभा के अन्तर्गत जोन–3 वार्ड–100 के अन्तर्गत स्थित 128/176 के पार्क का नामकरण स्व0 रामगणेश त्रिवेदी उद्यान/पार्क का प्रस्ताव पास करने के सम्बन्ध में।**

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा किदवई नगर के अन्तर्गत जोन–3 वार्ड–100 के अन्तर्गत 128/176 के सामने स्थित पार्क का नामकरण स्व0 रामगणेश त्रिवेदी के उद्यान/पार्क का प्रस्ताव पास करने का कष्ट करें।

.... **तद्नुसार वार्ड–100 के अन्तर्गत 128/176 के सामने स्थित पार्क का नामकरण ''स्व0 रामगणेश त्रिवेदी पार्क'' किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या –330

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/84/अ0अ0–2 दिनांक 14.06.2021 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (3) के अन्तर्गत प्रस्ताव पर विचार किया जाना :–

जोन–2 वार्ड–46 के अन्तर्गत राम श्याम खण्डजा से नदवेन्द्र कुमार से पिन्टू यादव के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। उक्त विषयक मा0 औद्योगिक विकास मंत्री जी को सम्बोधित पत्र पत्रावली पर संलग्न है, उक्त मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हालत में है, जिसका सुधार कार्य कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। आगणन धनांक रू0 18,13,944 की स्वीकृति मा0 महापौर द्वारा दिनांक 07.06.2021 को अनुमोदित की गयी है। तद्क्रम में आगणन धनांक रू0 18,13,944.00 की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..........................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–331

श्री विनोद कुमार प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री अखिलेश सिंह, प्रदेश महामंत्री, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जलकल विभाग संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना :–

विषय : स्थानीय स्तर पर कानपुर नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग के श्रमिकों की मजदूरी/वेतन संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयांकित पर उल्लेखित किया गया है कि सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से नगर निगम में कुशल कार्मिकों के साथ–साथ अर्द्धकुशल मजदूर कार्मिक तथा मजदूर अपनी निष्ठा से सेवायें दे रहे है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 03 मार्च 2021 के अनुसार न्यूनतम दैनिक मजदूरी 336.85 प्रतिदिन को प्रख्यापित किया है, परन्तु केयर टेकर मजदूर माली हेल्पर आदि को ई0पी0ए0 कटौती 13 प्रतिशत तथा ई0एस0आई0 कटौती 3.25 प्रतिशत के पश्चात् मात्र रू0 6100 प्रतिमाह भुगतान हो रहा है, जो न्याय संगत नहीं है।

अतः निम्न संवर्ग के कर्मचारियों की मजदूरी श्रेणीवार निम्नवत प्रस्तुत है :–

1. समस्त टेक्निकल श्रेणी एवं कम्प्यूटर आपरेटर न्यूनतम मजदूरी रू0 18000 प्रतिमाह
2. समस्त विभाग में तैनात वाहन चालक संवर्ग के कर्मचारी जो टेक्निकल श्रेणी में आते है और बिना समय सीमा के कार्य करते है, को न्यूनतम मजदूरी रू0 15000 प्रतिमाह
3. अन्य समस्त पद न्यूनतम मजदूरी रू0 12000 प्रतिमाह समान पारिश्रमिक भुगतान हेतु

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ /स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि तत्कालीन नगर आयुक्त ने सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से सेवायें दे रहे श्रेणीवार कार्मिकों के वेतन में वृद्धि की जा चुकी है, परन्तु वाहन चालक एव केयर टेकर मजदूरो की वेतन वृद्धि नहीं की गयी है। अतः वैश्विक महामारी कोविड–19 मे दी गयी सेवाओं तथा वर्तमान मंहगाई और इनकी कार्य के प्रति निष्ठा के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार नगर निगम से पारिश्रमिक/मजदूरी दी जाये।

.....................................**सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से सेवायें दे रहे वाहन चालकों/मजदूरों की मजदूरी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार दिलाये जाने हेतु नगर आयुक्त को वित्तीय स्वीकृति देने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 332</u>

श्री राशिद महमूद, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना :–

नगर निगम कानपुर में शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक के 60 पद स्वीकृत किये गये है, जिसमें से 56 राजस्व निरीक्षको यहॉ कार्यरत है। पूर्ववत में शासन के द्वारा जब राजस्व निरीक्षकों की भर्ती नहीं की गयी थी। उस समय यहॉ के कर्मचारियेां से कार्य लिया जाता था। अब शासन द्वारा उन पदों पर राजस्व निरीक्षक का कार्य करने से आदेश करके हटा दिया है, आज भी वों अपने मूल पद से इतर उच्च पदों पर कार्य कर रहे है, जो शासन के आदेशों की अवहेलना है, मा0 महापौर जी आपसे निवेदन है कि नायब मोहर्रिरों, चपरासियों, अमीन एवं बाबुओं से इस पद पर कार्य न लिया जायें जिससे शहर में हो रहे राजस्व सम्बन्धी कार्यो में असुविधा न हो। राजस्व निरीक्षक का पद अतिसंवेदनशील पद होता है, जो कि भवनों का कर निरीक्षण से लेकर दाखिल खारिज की पत्रावलियों का कार्य करते है उन कार्यो को सम्पादित किया जाता है। जो कि शासन द्वारा बिना आदेशित नियम विरूद्ध लोगों से कार्य लिया जा रहा है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 107 व 108 में सृजित नहीं है।

.........................**चूंकि राजस्व निरीक्षक–2 का पद स्थानीय पद है और इनका स्थानान्तरण दूसरे जिले में न होने के कारण कारकस बना रहता है, जिससे वसूली में भी प्रभाव पड़ता है। सरकार की भी मंशा है कि निम्न श्रेणी कर्मी से उच्च पद का कार्य न लिया जाये। अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुक्रम में तद्नुसार नगर आयुक्त कार्यवाही करायें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 333</u>

मान्नीय महापौर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना :–

संजय त्रिपाठी निवासी– 12/157, ग्वालटोली, कानपुर नगर, जो लगभग 30 वर्षो से पत्रकारिता जगत से जुड़े रहे है। श्री त्रिपाठी, सर्वप्रथम 06 वर्ष दैनिक समाचार पत्र "**आज**" तथा 24 वर्षो से "**हिन्दुस्तान समाचार पत्र" की** निर्भीक फोटोग्राफी करते हुए परमट मन्दिर दर्शन के समय, अचानक हृदय गति रूक जाने के कारण इनका असामयिक निधन हो गया। इनके निधन से पत्रकारिता जगत में एक विशेष प्रकार की शून्यता आ गयी।

अतः ऐसे युवा होनहार छायाकार (फोटोग्राफर) की स्मृति में ग्वालटोली चौराहा का नामकरण श्री संजय त्रिपाठी के नाम से किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.... **तद्नुसार ग्वालटोली चौराहे का नामकरण स्व0 संजय त्रिपाठी चौराहा किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।**

सभापति ने दिनांक 11.10.2021 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने के लियें **कहा।**

.... **सभी सदस्यों द्वारा .दिनांक 11.10.2021 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

....

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0....................

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/सभापति